(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 39/2015–2020
नई दिल्लीः दिनांक 18 अक्तूबर, 2019

विषयः राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) को भेजे गए मामलों के संबंध में प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 में नए प्रावधान को शामिल करना।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के अध्याय 2 में नया पैरा सं. 2.29क को निम्नानुसार जोड़ा जाता हैः

2.29क एनसीएलटी कार्यवाहियों के तहत आने वाली कोई भी फर्म/कंपनी राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष कार्यवाही शुरू होने की तिथि तक बचायी गयी शुल्क की राशि और लागू ब्याज, विदेश व्यापार विकास एवं विनियम अधिनियम के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना; शुल्क आदि जैसे कोई भी अन्य देय राशि, को दर्शाते हुए विदेश व्यापार नीति के स्कीमों के तहत बकाया निर्यात दायित्वों/देयताओं के विवरण का सारांश तैयार करेगी और सांविधिक फाइलिंग के भाग के रूप में एनसीएलटी की कार्यवाही शुरू होने से पहले इसे संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी और एनसीएलटी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सनदी अभियंता/सनदी लेखाकार द्वारा अभिप्रमाणित निविष्टियों की खपत/पूंजीगत माल की खरीद का विवरण भी बचायी गयी शुल्क की राशि को पूरा करने हेतु दावा किए गए किसी भी निर्यात दायित्व की आंशिक रूप से पूर्ति के अन्य दस्तावेजी विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण को भेजे गए मामलों के संबंध में पालन किए जाने वाले प्रचालन संबंधी तौर–तरीकों के लिए विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय 2 में नया पैरा जोड़ा गया है।

(बिद्युत बिहारी स्वैन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फाइल सं. 01/94/180/019/एएम–20/पीसी–4 से जारी)